

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTT. & L. TAX DEPTT.
L & N BLOCK, I.P. ESTATE, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI

No.F.10(56)/96-97/EX./IMFL/PF/107-124

Dated : 23/01/2020

NOTIFICATION

In pursuance of the provisions of Rule 52 of Delhi Excise Rules, 2010, it is hereby ordered that the following dates/days shall be observed as "Dry Days" on account of general elections to State Legislative Assembly of Delhi, 2020 by L-1, L-1F, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-6FG, L-6FE, L-7, L-7FG, L-7FE, L-8, L-9, L-9A, L-10, L-11, L-12, L-12F, L-14, L-15, L-15F, L-16, L-16F, L-17, L-17F, L-18, L-18F, L-19, L-19F, L-20, L-20F, L-21, L-21F, L-22, L-23, L-23F, L-25, L-26, L-27, L-28, L-28F, L-29, L-29F, L-31, L-32, L-33, L-34, L-35, P-10, P-10A and P-13 licensees and opium vends located in Delhi:

1. On 06.02.2020 (Thursday) from 6:00 P.M. to 08.02.2020 (Saturday) upto 6:00 P.M. (Polling Day) (i.e. for 48 hours)
2. On 11.02.2020 (Tuesday) full day (On Counting day)

The above shall be observed as "Dry Days" in addition to the Dry Days notified vide Order No. F.10(56)/96-97/IMFL/EX/PF/19 dated 07.01.2020.


(RAVI DHAWAN)
COMMISSIONER OF EXCISE

No.F.10(56)/96-97/EX./IMFL/PF/107-124

Dated : 23/01/2020

Copy forwarded to :

1. Principal Secretary to the Lt. Governor, Delhi
2. Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi
3. The Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi
5. Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi.
6. Chief Electoral Officer, Govt. of NCT of Delhi.
7. The Divisional Commissioner-Cum-Secretary (Revenue), NCT of Delhi.
8. The Commissioner of Police, NCT of Delhi.
9. The Director of Information and Publicity for wide publicity.
10. The Dy. Secretary, GAD, Govt. of NCT of Delhi for notification in the Delhi Gazette.
11. The Addl. Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi.
12. Dy. Commissioner (Taxes/Excise), Department of Excise, Entt. & Luxury Tax, GNCT of Delhi.
13. All the Branch Officers, Excise Department, Delhi with the request to circulate this order to all the licensees under their control.
14. All Excise Inspectors/Sub-Inspectors for ensuring strict compliance.
15. The Managing Director, DSIIDC, DTTDC, DSCSC & Administrator, DCCWS.
16. Notice Board.
17. Guard File.
18. Website of the Department.


23/1/2020
(RAVI DHAWAN)
COMMISSIONER OF EXCISE

(दिल्ली राजपत्र भाग 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय: आयुक्त आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर
एल व एन ब्लॉक विकास भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली - 110002

सं. फा. 10(56)96-97/आई.एम.एफ.एल./आब./पी.एफ.-II/ 107-124

दिनांक: 23/01/2020

अधिसूचना

दिल्ली आबकारी नियमावली 2010 के नियम-52 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली विधानसभा के सामान्य चुनाव-2020 में होने के कारण निम्नलिखित तारीखों को शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया जाता है जो कि सभी एल-1, एल-1एफ, एल-2, एल-3, एल-4, एल-5, एल-6, एल-6एफई, एल-6एफजी, एल-7, एल-7एफजी, एल-7एफई, एल-8, एल-9, एल-9ए, एल-10, एल-11, एल-12, एल-12एफ, एल-14, एल-15, एल-15एफ, एल-16, एल-16 एफ, एल-17, एल-17एफ, एल-18, एल-18एफ, एल-19, एल-19एफ, एल-20, एल-20एफ, एल-21, एल-21एफ, एल-22, एल-23, एल-23एफ, एल-25, एल-26, एल-27, एल-28, एल-28एफ, एल-29, एल-29एफ, एल-31, एल-32, एल-33, एल-34, एल-35, पी-10, पी-10ए, पी-13, लाइसेंसधारकों और अफीम की दुकानों पर लागू होंगे।

1. दिनांक 06.02.2020 (बृहस्पतिवार) सांय 6:00 बजे से दिनांक 08.02.2020 (शनिवार) मतदान दिवस सांय 6:00 बजे तक (जो कि 48 घंटे के लिए है)।
2. दिनांक 11.02.2020 (मंगलवार) पूरा दिन (मतगणना दिवस)।

उपरोक्त दिन इस प्रशासन की आदेश संख्या फा. 10(56)96-97/आई.एम.एफ.एल./आब./19 दिनांक 07.01.2020 के अनुसार घोषित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त शुष्क दिवस होंगे।

रवि धवन
(रवि धवन) 23/1/20

आबकारी आयुक्त, दिल्ली

प्रतिलिपि:

1. माननीय उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
2. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
3. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली
4. वित्त मंत्री के सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
5. प्रधान सचिव (वित्त), दिल्ली सरकार, दिल्ली।
6. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
7. मण्डल आयुक्त एवं सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
8. पुलिस आयुक्त, दिल्ली
9. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार (वृहद प्रचार हेतु)
10. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार (दिल्ली राजपत्र के प्रकाशनार्थ)
11. अवर सचिव (विधि), दिल्ली सरकार, दिल्ली
12. उपायुक्त (कर/आबकारी), दिल्ली सरकार, दिल्ली
13. सभी शाखा अधिकारी, आबकारी विभाग, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वह अपने नियंत्रण के समस्त लाईसेंसधारियों को यह अधिसूचना परिचालित कराएं।
14. समस्त आबाकारी निरीक्षक/उपनिरीक्षक को सख्ती से पालन हेतु।
15. प्रबंध निदेशक, डी.एस.आई.डी.सी. / डी.टी.टी.डी.सी. / डी.एस.सी.एस.सी. प्रशासक एवं डी.सी.सी. डब्ल्यू.एस.।
16. सूचना पट
17. विभाग की वेबसाईट
18. गार्ड फाईल

रवि धवन
(रवि धवन) 23/01/2020

आबकारी आयुक्त, दिल्ली